न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

वाद सख्या : 09 / 2010

लक्ष्मण पुत्र नाथूलाल जाति माली निवासी बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां .....वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

♠ बनाम ♠

1. भंवरलाल पुत्र भैरूलाल जाति मेहर निवासी बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)
3. ग्राम पंचायत बोहत जर्ये सरपंच बोहत तह0 मांगरोल

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188, 90, 91, 92, 92 (ए) आर0टी0एक्ट0 वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

वकील प्रतिवादी : श्री रामस्वरूप नागर

दायरा दिनांक: 14.07.2011 निर्णय दिनांक : 06.06.2018

वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बोहत में खसरा नं0 895 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा आराजी स्थित है सेटलमेंट के बाद हाल खसरा नं0 1145 रकबा 0.20 है0 खसरा नं0 1146 रकबा 0. 03 है0 खसरा नं0 1147 रकबा 0.15 है0 कुल किता 3 रकबा 0.38 है0 दर्ज किये गये। उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रतिवादी भंवरलाल से 6500 रू0 में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 30.08.1974 को क्रय की थी लेकिन प्रतिवादी क्रम 1 अनुसूचित जाति का सदस्य होने से बेचान को मान्यता नही देकर आराजी सिवायचक घोषित कर दी सिवायचक घोषित करने का निर्णय दिनांक 30.07.1976 के विरूद्ध वादी ने अपील पेश कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.07.1976 निरस्त करते हुए पूनः सुनवाई हेतु प्रकरण को रिमांड कर दिया। न्यायालय आरएए के आदेश दिनांक 23.07.1976 के पश्चात आराजी वादी के खाते में दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन विवादित आराजी छीतरलाल पुत्र घांसी लाल कुम्हार के नाम कर दी उक्त आवंटन आदेश के विरूद्ध अपील करने पर न्यायालय एडीएम साहब ने आवंटन अपने निर्णय दिनांक 16.12. 1981 से खारिज फरमा दिया और आदेश दिया कि वादी के हक पर विचार किया जावें।

आगे कथन किया कि वादी सन 1967 से लगातार काश्त करता चला आ रहा है और सम्वत 2066 से तहसीलदार मांगरोल से बोली की राशि जमा कराकर आराजी पर कब्जा बनाये हुए है। वादी ने आराजी पर रिहायशी मकान बना रखा है। फलो के पौधे लगा रखे है ग्राम पंचायत बलपूर्वक आराजी में से होकर आम सडक बनाना चाहती है जिसको उसका अधिकार प्राप्त नही है। ग्राम पंचायत बोहत ने जर्ये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि खसरा नं0 1144 गै0 मुमकिन रास्ते में नरेगा के तहत आम रास्ता का निर्माण करवाया जा रहा है। जिस पर वादी ने अतिक्रमण कर रखा है वादी किसी भी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है।

वादी/प्रार्थी ने राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार से प्रेरित होकर न्यायाल में एक प्रार्थना पत्र क 05.05.2018 को प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पंचायत बोहत में आराजी में से आने जाने वास्ते उन रास्ते का निर्माण कर लिया है अब ग्राम पंचायत को कोई वास्ता नही हैं आम रास्ता बन जाने से वादी के पास लगभग 1.5 बीघा आराजी कब्जे में है जिस पर फलो के पेड लगे हुए है तथा रिहायशी आवास बना हुआ है प्रार्थी/वादी ने आगे कथन किया कि वादी लगभग 25 वर्षो से बोली की राशि तहसील में जमा कराकर आराजी पर कब्जा बनाये हुए है आराजी ग्राम बोहत की आबादी के मध्य में आ जाने से कृषि योग्य नही रही है जमा राशि की रसीदे भी प्रार्थी ने पेश की है और न्यायालय प्रार्थना की है कि आराजी पर कब्जा बनाये रखने हेतु प्रार्थी प्रतिवर्ष तहसील मांगरोल में 3100 रू0 जमा कराता रहेगा ताकि बोली आराजी ना लग सकें।

प्रार्थना पत्र वास्ते नम्बर पर लेने वाद को न्यायहित में नम्बर पर लिया जाता है समस्त राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया और प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार किया गया वकील प्रार्थी ने बहस में उन्ही तथ्यो को दोहराया है जो उन्होने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है न्यायालय के मत में प्रार्थी विवादित आराजी पर 1974 से काबिज है गत 20–25 वर्षो से तहसील मांगरोल में बोली की राशि जमा करवाकर आराजी पर कब्जा बनाये रखा है वादी/प्रार्थी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा आराजी पर कब्जा किया है ऐसा पत्रावली के रेकार्ड पर नही है। आराजी आबादी के मध्य आ चुकी है।

अतः प्रार्थना पत्र वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/वादी प्रतिवर्ष माह जून में बोली राशि 3100 रू0 तहसीलदार मांगरोल के समक्ष राशि जमा कराता रहेगा राशि जमा कराने पर प्रार्थी खसरा नं0 1145 रकबा 0.20 है0 खसरा नं0 1146 रकबा 0.08 है0 खसरा नं0 1147 रकबा 0.15 है0 कुल किता 3 रकबा 0.38 है0 पर अपना कब्जा बनाये रखेगा। निलामी राशि 3100 रू0 समय पर जमा नही कराने पर तहसीलदार मांगरोल को अधिकार होगा कि उपरोक्त वर्णित आराजी को अपने कब्जे में लेकर अपने स्तर पर विधि अनुसार कार्यवाही करें। भविष्य में आराजी आबादी हेतु आवंटन हो जाने पर प्राथमिकता के आधार पर प्रार्थी के कब्जे का बारे में विचार किया जाकर विधि सम्मत कार्य किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प ईश्वरपुरा मजमेंआम में सुनाया गया।